प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 465/2004

1– हरिशंकर गौतम पिता श्री एम.एल. गौतम, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी– चांपा सिंचाई कॉलोनी, थाना चांपा, जिला जांजगीर, वर्तमान पता रिसाली सेक्टर भिलाई, जिला दुर्ग।

2– शशिकांत पिता श्री बी.एल. नागवंशी, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी जांजगीर बी.टी.आई. के पास, थाना जांजगीर, जिला जांजगीर, वर्तमान पता रिसाली सेक्टर भिलाई, जिला दुर्ग।

... अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, थाना दुर्ग।

... प्रत्यर्थी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलार्थीगण की ओर से	:	श्री ऋषि महोबिया, श्री कृष्ण टंडन एवं श्री समर्थ मरहास, अधिवक्तागण।
प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से	:	सुश्री उपासना मेहता, उप–शासकीय अधिवक्ता

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा)

बोर्ड पर निर्णय

11/08/2025

यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़) द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 198/2003 में दिनांक 28.04.2004 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 200/– रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में:

2. अभियोजन के प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि अभियोक्त्री (अ.सा.–1) और सह–अभियुक्त तपस मैत्री, विद्या निकेतन स्कूल, दुर्ग में अपनी पढ़ाई कर रहे सहपाठी थे। यह आरोप है कि घटना के दिन, अर्थात् दिनाँक 18.02.2003 को दोपहर लगभग 1.15 बजे उसने अपनी माँ को सूचित किया कि वह अपने

शिक्षक के घर जा रही है। रास्ते में, चंद्राकर सीमेंट दुकान के पास, उसे अभियुक्त तपस द्वारा रोका गया जिसने यह कहकर उसे गुमराह किया कि उसे भी कुछ काम है और वह घर से अपनी किताब लेने के बाद उसके साथ चलेगा। उस पर विश्वास करते हुए, वह उसके साथ चली गई और उसे अपने घर ले जाने के बजाय, वह उसे प्रगति नगर में अर्जुन यादव, अधिवक्ता के घर ले गया और कमरे में प्रवेश करने पर, उसने पाया कि अन्य अभियुक्त व्यक्ति विक्रम और हरप्रीत जो उसके सहपाठी भी थे, मनोज, शशि और हरि के साथ पहले से मौजूद थे। अभियुक्त विक्रम ने बलपूर्वक अभियोक्त्री को भीतर लिया और दरवाजा बंद कर दिया। जब उसने शोर मचाया, अभियुक्त शशि ने उसका मुँह दबा दिया और अभियुक्त तपस, मनोज और हरि और हरप्रीत उसे दूसरे कमरे में ले गए। अभियुक्त मनोज, हरि और हरप्रीत ने बलपूर्वक अभियोक्त्री को पकड़ लिया, अभियुक्त शशि ने उसकी शर्ट और अंतःवस्त्र उतार दिए, अभियुक्त विक्रम और हरप्रीत ने बलपूर्वक उसके दोनों हाथ रोक लिए और फर्श पर लेटा दिया। तत्पश्चात, सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने एक के बाद एक अपराध कारित करते हुए उसके साथ बलात्संग किया। उसके बाद, अभियुक्त/अपीलार्थी शशि और मनोज ने उसे धमकी दी कि घटना के बारे में किसी को न बताये अन्यथा उसकी छोटी बहन के साथ भी वैसा ही होगा। वह घर आई और अपनी माँ (अ.सा–2) और पिता (अ.सा.–2) को घटना के बारे में बताया जिन्होंने बदले में अपने नातेदार (अ.सा.–3) को घटना के बारे में सूचित किया लेकिन चूंकि इससे परिवार की बदनामी होगी और भविष्य में अभियोक्त्री के विवाह में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, अगले दिन अर्थात् दिनाँक 19.02.2003 को, थाना नेवई में एक लिखित शिकायत प्रदर्श पी–1 दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभियुक्तों/अपीलार्थीगण द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और बाद में, राम कुमार की सलाह पर, दिनाँक 22.02.2003 को, उसने प्रदर्श पी–2 के माध्यम से एक विस्तृत रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रदर्श पी–17 के माध्यम से घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, प्रदर्श पी–5 और पी–4 के माध्यम से अभियोक्त्री के कपड़े जब्त किए गए। अपीलार्थीगण के अंतःवस्त्र भी दिनाँक 23.02.2003, 24.02.2003 और 26.02.2003 को जब्त किए गए। अभियोक्त्री का चिकित्सकीय परीक्षण डॉ. अल्पना अग्रवाल (अ.सा.–4) द्वारा किया गया, और आयु अवधारण के लिए एक्स–रे भी लिया गया और रिपोर्ट के अनुसार, उसकी आयु लगभग 18 वर्ष थी। जन्म प्रमाण पत्र जन्म और मृत्यु पंजीयन शाखा से प्राप्त किया गया था यद्यपि वह प्रमाणित नहीं था। उन्होंने अभिमत दिया है कि प्यूबिक भाग में एबरेजन पाई गई थी जो बलपूर्वक संभोग के कारण हो सकती है और परीक्षण के बाद रक्त मौजूद था। साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, दिनाँक 17.04.2003 को अपीलार्थी हरिशंकर और शशिकांत के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुपालन में न्यायालय द्वारा तदनुसार आरोप विरचित किए गए। अन्य सह–अभियुक्त अपीलार्थी किशोर थे और इसलिए, उनके विरुद्ध किशोर न्यायालय दुर्ग में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अधीन विचारण चलाया गया और आरोप विरचित किए गए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन ने अपने प्रकरण के समर्थन में कुल 12 साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के कथन भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध विरचित आरोपों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए प्रकरण में झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया। इसके अतिरिक्त, अभियुक्तों/अपीलार्थीगण द्वारा दो बचाव साक्षियों का परीक्षण किया गया है।

4. पक्षकारों को सुनने के उपरांत, विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों/ अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध एवं दण्डित किया है।

<u>अपीलार्थीगण का तर्कः</u>

5. अपीलार्थी क्रमांक 1 हरिशंकर गौतम की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री ऋषि महोबिया का तर्क यह है कि अभियोजन के प्रकरण के सरल परिशीलन से, भले ही इसे वास्तविकता पर लिया जाए, अपीलार्थी के निरंतर कारावास को उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह तर्क किया गया है कि अभियोक्त्री ने स्वयं अपने पिता के साथ शुरू में दिनाँक 19.02.2003 को एक लिखित शिकायत प्रदर्श पी–1 प्रस्तुत की थी जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कथन किया था कि अपीलार्थीगण ने उसके साथ बलात्संग किया था लेकिन वह प्रकरण का आगे खुलासा नहीं करना चाहती थी और केवल राम कुमार की कथित सलाह के बाद दिनाँक 22.02.2003 (प्रदर्श पी–2) को एक पश्चातवर्ती रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसलिए, उनका तर्क है कि यह स्पष्ट रूप से अभियोक्त्री के संस्करण में सुधार और बाद के विचारों को दर्शाता है जो उनके अनुसार अभियोजन के प्रकरण को संदिग्ध बना देता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. आगे यह तर्क किया गया है कि अभियोजन द्वारा अवलंब लिया गया अभियोक्त्री की रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट को विधिवत प्रमाणित नहीं किया गया है और आयु अवधारण के लिए एक्स–रे पर आधारित चिकित्सीय अभिमत उसकी आयु 18 वर्ष बताती है और इस प्रकार यह स्थापित करती है कि वह कथित घटना के दिन वयस्क थी। अतः, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2) के अधीन सख्त प्रावधान, जहाँ तक वे एक अवयस्क पीड़िता से संबंधित हैं, आकृष्ट नहीं होते हैं।

7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि तथाकथित संपोषक साक्ष्य दुर्बल और अविश्वसनीय है। चिकित्सा साक्ष्य के संबंध में, यह तर्क किया गया है कि यद्यपि एमएलसी रिपोर्ट अपीलार्थीगण के अंतःवस्त्रों पर मानव शुक्राणुओं की उपस्थिति का उल्लेख करती है, किंतु वह अपने आप में कथित अपराध कारित करने का निश्चायक प्रमाण नहीं है। कथित धब्बों को विशेष रूप से अभियोक्त्री से जोड़ने के लिए कोई डीएनए प्रोफाइलिंग या फोरेंसिक सह–संबंध नहीं किया गया है। इस प्रकार के निश्चायक वैज्ञानिक कड़ी के अभाव में, उक्त निष्कर्ष को इस स्तर पर अपीलार्थीगण के विरुद्ध अभियोगात्मक नहीं माना जा सकता है।

8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में विलंब हुआ है जिसे संतोषजनक रुप से स्पष्ट नहीं किया गया है और अभियोजन साक्षीगण या तो

नातेदार हैं या हितबद्ध साक्षी हैं जो उनके परिसाक्ष्य को संदेह के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। इन आधारों पर उनका तर्क है कि अपीलार्थी क्रमांक 1 को आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

9. अपीलार्थी क्रमांक 2 शशिकांत की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री मरहास ने चिकित्सीय साक्ष्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। यद्यपि यह सत्य है कि अपीलार्थीगण से जब्त किए गए अंतःवस्त्रों पर मानव शुक्राणु पाए गए थे, किंतु यह तर्क किया गया है कि उन्हें अभियोक्त्री से जोड़ने के लिए कोई डीएनए प्रोफाइलिंग या वैज्ञानिक सह–संबंध नहीं किया गया था। ऐसे निश्चायक साक्ष्य के अभाव में, केवल शुक्राणुओं की उपस्थिति दोष साबित नहीं कर सकती है। आगे यह तर्क किया गया है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में हुए विलंब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जो अभियोजन के प्रकरण की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। अपीलार्थी क्रमांक 2 के अधिवक्ता यह भी इंगित करते कि अभियोजन ने किसी भी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण नहीं किया है, और सभी साक्षी या तो नातेदार हैं या हितबद्ध साक्षी हैं, जिससे उनके कथनों का साक्ष्यिक मूल्य कम हो जाता है। तदनुसार, यह तर्क किया गया है कि अपीलार्थी क्रमांक 2 भी दोषमुक्त होने का हकदार है या वैकल्पिक रूप से, साक्ष्य की अपर्याप्तता के आधार पर रिहा किए जाने योग्य है। यह तर्क दिया गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन उपधारणा को दोष का निश्चायक प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए और पूरे साक्ष्य के विरुद्ध सावधानीपूर्वक परखा जाना चाहिए, क्योंकि दाण्डिक प्रकरणों में सबूत का भार सदैव अभियोजन पर होता है। उनका तर्क है कि उपधारणाएं अनिवार्य नहीं बल्कि विवेकाधीन हैं, जो न्यायालय को प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर युक्तियुक्त निष्कर्ष निकालने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता का तर्कः</u>

10. इसके विपरीत,राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्कों का विरोध किया एवं तर्क किया कि अभियोक्त्री ने प्रत्येक अपीलार्थी की भूमिका के संबंध में स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया है और उसका परिसाक्ष्य, जो महत्वपूर्ण विवरणों में स्वाभाविक और सुसंगत है, के लिए किसी और संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है। यह तर्क किया गया है कि सामूहिक बलात्संग के प्रकरण में, यदि अभियोक्त्री का कथन विश्वसनीय पाया जाता है, तो वह दोषसिद्धि को यथावत रखने के लिए पर्याप्त है। आगे यह तर्क किया गया है कि घटना की वास्तविक प्रकृति का खुलासा करने में अभियोक्त्री और उसके पिता की प्रारंभिक हिचकिचाहट को सुधार के रूप में नहीं माना जा सकता जिससे उसके परिसाक्ष्य को खारिज किया जा सके। यह सर्वविदित है कि लैंगिक उत्पीड़न की पीड़िताएँ, कलंक और सामाजिक दुष्परिणामों के कारण सामने आने में अनिच्छुक होती हैं और प्रायः प्रारंभ में तथ्यों को छिपाती हैं। इसलिए, पश्चातवर्ती विस्तृत रिपोर्ट (प्र.पी.–2) केवल पीड़िता के सत्य प्रकट करने के साहस को दर्शाती है और इसे अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता।

11. चिकित्सीय साक्ष्य के संबंध में, यह तर्क किया गया है कि अपीलार्थीगण के अंतःवस्त्रों पर मानव शुक्राणुओं की उपस्थिति एक मजबूत संपोषक परिस्थिति है जो अभियोजन के प्रकरण का समर्थन करती

है। बचाव पक्ष ने ऐसी अभियोगात्मक बरामदगी के लिए कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया है। डीएनए प्रोफाइलिंग की अनुपस्थिति अपने आप में इस साक्ष्य के साक्ष्यात्मक मूल्य को कम नहीं करती है।

12. उन्होंने आगे तर्क किया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में सामान्य विसंगतियां या विलंब अभियोजन के लिए घातक नहीं होती है जब अभियोक्त्री का ठोस साक्ष्य सुसंगत हो और चिकित्सा निष्कर्षों द्वारा समर्थित हो। उन स्थापित सिद्धांतों का अवलंब लिया गया है कि अभियोक्त्री के साक्ष्य को एक आहत साक्षी के समान माना जाना चाहिए और यदि उसका एलक परिसाक्ष्य विश्वास प्रेरित करती हो तो यह दोषसिद्धि का आधार बन सकती है। इन परिस्थितियों में, यह तर्क किया गया है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि साक्ष्यों की उचित विवेचना पर आधारित है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अपील खारिज किए जाने योग्य है।

13. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया।

<u>अवधारण हेतु बिंदुः</u>

14. इस न्यायालय के समक्ष इस अपील के विचारण और अवधारणा हेतु निम्नलिखित विवाद्यक हैं:

(i) क्या अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य विश्वसनीय है और अपीलार्थीगण के विरुद्ध सामूहिक बलात्संग के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त है?

(ii) क्या चिकित्सीय साक्ष्य और जब्ती के साक्ष्य अभियोक्त्री के कथन की संपुष्टि करते हैं?

(iii) क्या सत्र न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>साक्ष्य की विवेचनाः</u>

15. अभियोक्त्री ने कथन किया है कि वह अभियुक्त/अपीलार्थी और किशोरों को जानती थी। घटना के दिन, जब वह अपने शिक्षक के घर जा रही थी, सह–अभियुक्त तपस उसे रास्ते में मिला और कहा कि उसे भी कुछ काम है और वह अपने घर से अपनी किताब लेने के बाद उसके साथ चलेगा, इसलिए उसने उसे अपने साथ अपने घर चलने को कहा। सह–अभियुक्त उसे मैत्री नगर, भिलाई स्थित एक फ़्लैट में ले गया और उसे अंदर आने को कहा। अंदर प्रवेश करने पर, उसने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को देखा जो उसके सहपाठी थे, जिनके नाम शशि, विक्रम, हरि, हरप्रीत और मनोज थे। तत्पश्चात, अभियुक्त विक्रम ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे बलपूर्वक भीतर ले गया, उसके कपड़े उतार दिए और उसके वस्त्रों को छिपा दिया, सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने एक के बाद एक उसके साथ बलात्संग किया। अपराध कारित करने के बाद, मनोज और शशि को छोड़कर अन्य अभियुक्त/अपीलार्थी बाहर चले गए, जिन्होंने उसे धमकी दी कि घटना के बारे में किसी को न बताए नहीं तो वे उसकी बहन को मार देंगे। उसने घर आकर अपने माता–पिता को घटना की जानकारी दी और उसके बाद दिनाँक 22.02.2003 को थाना नेवई में

रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसने कथन किया है कि पुलिसकर्मियों ने उसके पिता को डराया कि रिपोर्ट दर्ज न कराए, अन्यथा इससे परिवार की बदनामी होगी और भविष्य में अभियोक्त्री के विवाह में कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, पुलिस घटनास्थल पर गई और प्रदर्श पी–4 के माध्यम से घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, प्रदर्श पी–5 और पी–6 के माध्यम से उसके कपड़े जब्त किए गए। उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया।

16. अभियोक्त्री के पिता (अ.सा.–3) ने कथन किया है कि घटना के दिन, जब वह शाम लगभग 6.30 बजे अपने कार्यस्थल से आया, तो अभियोक्त्री और उनकी पत्नी रो रही थीं और पूछने पर, उसकी पत्नी ने उसे घटना का वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाना गया, किंतु उप–निरीक्षक आर.पी. यादव की इस सलाह पर कि इससे परिवार की बदनामी होगी और यह समाचार पत्र में प्रकाशित हो जाएगा,वह घर वापस आ गया। यद्यपि, अपने साले की सलाह पर, उसने दिनाँक 22.02.2003 को रिपोर्ट दर्ज कराई। अभियोक्त्री की माता (अ.सा.–2) द्वारा भी समान कथन किया गया है। अपने अभिसाक्ष्य के कण्डिका 4 में उन्होंने कथन किया है कि—

> "4. थाने में टी.आई. वर्मा और आर.पी. यादव मौजूद थे। मैं जब वर्मा टी.आई को घटना की जानकारी दे रही थी तब यादव मेरे पति को बाहर ले जाकर बातचीत कर रहे थे। श्री यादव बोल रहे थे कि पेपर में घटना छप जायेगी तो बदनामी होगी और भी बच्चे है जिनकी शादी नहीं होगी। इस बात को सुनकर मेरे पति घबरा गये इसी समय मेरी बडी बच्ची कोचिंग सेघर आयी हुई थी जिसे घटना की जानकारी नहीं थी, जिसे थाने से फोन किये थे कि हम लोग यहां पर है। तो बडी बच्ची ने बताया था कि उसे फोन से धमकी आ रही है। इन सब कारणों से उस दिन हम लोग पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवा पाये।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने आगे कथन किया कि" यह बात सही है कि मैंने पूलिस को बयान देते समय इन छः लडकों के नाम बताया था। मैंने अपने पुलिस बायान में इन छः लडकों का नाम बतायाथा पर मेरे पुलिस बयान में इन छः लडकों का नाम नहीं लिखा हो तो मै कारण नही बता सकती।"

17. डॉ. श्रीमती अल्पना अग्रवाल (अ.सा.–4) ने कथन किया है कि उन्होंने अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 और पी–6 दी। उन्होंने यह अभिमत दिया है कि वह लैंगिक रूप से परिपक्व है और बलपूर्वक संभोग के कारण प्यूबिक एरिया में एबरेजन के निशान थे, हालांकि उन्होंने हालिया संभोग के बारे में कोई अभिमत नहीं दिया। उन्होंने अभिमत दिया है कि अभियोक्त्री की आयु 17–19 वर्ष के बीच थी और पुष्टि के लिए उन्होंने उसे जिला अस्पताल दुर्ग के रेडियोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, अभियोक्त्री की आयु लगभग 18 वर्ष है। उन्होंने प्रदर्श पी–6 के माध्यम से अपना अभिमत दिया है जिसमें उसके आंतरिक व बाह्य अंगों पर पाई गई चोंटे निम्नानुसार हैं:

"2.----------उसके दोनो स्तन पर 2X3 से.मी. का नीले रंग का ब्रूस उपस्थित था ओर किसी प्रकार के चोट नहीं थीं

3. ----------प्यूबिक एरिया के निचले भाग पर बीचो बीच एक एबरेजन जिसका आकार लगभग 1 से.मी. X 1 मि.मी. का था। जांच करने पर उसमें खून के बूंदे मौजूद थे।

5----------प्यूबिक एरिया में एबरेजन जो कि बलपूर्वक बलात्संग करने से आ सकता था।"

18. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक विचार के उपरांत, यह पाया गया है कि अभियोक्त्री के पिता ने प्रारंभ में थाना नेवई में एक लिखित शिकायत प्रदर्श डी–2 प्रस्तुत की थी, जो कि निम्नानुसार है:

विषयः रिपोर्ट नहीं करना चाहते बाबत् ।

----------आज दिनांक 18.02.2003 को सवा बजे मेरी लडकी प्रीति पढने जाना बताकर घर से निकली थी जो साढे चार बजे घर वापस आई है और उससे पूछताछ पर मुझको आशंका है कि उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। जो इसके स्कूल के सहपाठी लडके है। लडकी के भविष्य को देखते हुए मैं इस संबंध में स्वेक्षा से पुलिस थाना निवई में रिपोर्ट नहीं करना चाहता हूं।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उस समय, उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनकी पुत्री के साथ क्या हुआ था और तत्पश्चात दिनाँक 22.02.2003 को,अभियोक्त्री ने विस्तारपूर्वक लिखित शिकायत दर्ज कराई कि अभियुक्तों/ अपीलार्थीगण व अन्य सह–अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसके साथ बलात्संग किया गया था, और उसी दिन प्रदर्श डी–2 के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि अभियोक्त्री ने अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को झूठा फंसाया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोक्त्री की अभियुक्तों–अपीलार्थीगण के साथ कोई शत्रुता नहीं है।

19. अभियोक्त्री ने न्यायालय के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में घटना का निरंतर और सुसंगत वृत्तांत दिया है। प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका के संबंध में उसका साक्ष्य सुस्पष्ट है और प्रतिपरीक्षण के दौरान भी वह अडिग रही है। उसका यह कथन कि उसके हाथों को हिंसक रूप से बांधा गया था और उसे फर्श पर लेटने के लिए विवश किया गया था, और उसके पश्चात प्रत्येक अभियुक्त ने जानबूझकर एक के बाद एक उसके साथ लैंगिक हमला किया। यह वृत्तांत न केवल अपराध का स्पष्ट वर्णन करता है, बल्कि इसकी गंभीरता और सामाजिक भर्त्सना को भी दर्शाता है। इस तरह के कृत्य मानव गरिमा और नैतिकता के प्रति

पूर्ण अवहेलना को दर्शाते हैं और समाज में एक निवारक के रूप में कार्य करने हेतु कठोरतम दंड की मांग करते हैं। यद्यपि घटना की वास्तविक प्रकृति का खुलासा करने में प्रारंभ में संकोच था, किंतु यह न्यायालय इस वास्तविकता की अनदेखी नहीं कर सकता कि लैंगिक हमले की पीड़िता न केवल शारीरिक हिंसा झेलती है, बल्कि गंभीर आघात, लज्जा और सामाजिक कलंक का भी सामना करती है। **हिमाचल प्रदेश राज्य विरुद्ध रघुबीर सिंह (1993) 2 एससीसी 622** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि बलात्संग के प्रकरणों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में हुआ विलंब महत्वपूर्ण नहीं है यदि अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य अन्य प्रकार से विश्वसनीय हो।

20. अपीलार्थीगण के अंतर्वस्त्रों की बरामदगी, जिनमें मानव शुक्राणु पाए गए हैं, अभियोक्त्री के वस्त्रों की जब्ती के साथ मिलकर उसके कथनों की संपुष्टि करती है। डीएनए प्रोफाइलिंग का अभाव इस बरामदगी के साक्ष्यिक बल को समाप्त नहीं करता है। अपीलार्थीगण ने इस संबंध में कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उनके अंतर्वस्त्रों पर शुक्राणु क्यों पाए गए, जो कि एक ऐसी परिस्थिति है जो उनकी दोषिता की ओर संकेत करती है।

21. चिकित्सीय रिपोर्ट भी झूठे फंसाए जाने की संभावना को खारिज करती है। डॉ. श्रीमती अल्पना अग्रवाल (अ.सा.–4) का परिसाक्ष्य अभियोजन के वृत्तांत को और अधिक बल प्रदान करता है, क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से अभियोक्त्री के दोनों स्तनों पर 2 x 3 सेमी के ब्रुस, प्यूबिक भाग के मध्य भाग पर खून की बूंदों के साथ एबरेजन और प्यूबिक भाग पर अतिरिक्त एबरेजन उल्लेख किया है, जो उनके अभिमत में केवल बलपूर्वक लैंगिक संभोग के परिणामस्वरुप हो सकते हैं। यद्यपि संभोग की तात्कालिकता के संबंध में कोई अभिमत नहीं दिया गया, फिर भी चोटों की प्रकृति और स्थान स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि यह कृत्य बल प्रयोग के साथ किया गया था। ये चोटें पीड़िता के सुसंगत परिसाक्ष्य की संपुष्टि करती हैं और झूठे फंसाए जाने की कोई संभावना नहीं छोड़ती हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

22. **भरवाड़ा भोगिनभाई हिरजीभाई विरुद्ध गुजरात राज्य (1983) 3 एससीसी 217**' के प्रकरण में और हालिया निर्णय **सायबाज नूरमोहम्मद शेख विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (2024) दाण्डिक अपील क्रमांक 4495/2024** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि बलात्संग की पीड़िता का परिसाक्ष्य किसी सह–अपराधी के साक्ष्य की तुलना में उच्च स्तर पर होता है, और न्यायालयों को ऐसे प्रकरणों में अति तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। न्यायालय ने इस तथ्य पर बल दिया है कि लैंगिक अपराधों के पीड़ितों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए।

23. जैसा कि अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 का तर्क दिया गया है, जो सामान्यतः न्यायालय को कुछ तथ्यों के अस्तित्व की उपधारणा करने का अधिकार देती है, यदि वह उन तथ्यों को सामान्य मानवीय अनुभव या प्राकृतिक घटनाओं पर

आधारित संभावित मानती है। यह न्यायालय को उन तथ्यों से जुड़े किसी तथ्य के बारे में उपधारणा बनाने की अनुमति देती है जो स्थापित हो चुके हैं। यद्यपि, यह धारा कोई अनिवार्य उपधारणा निर्मित नहीं करती है, बल्कि केवल न्यायालय को कुछ तथ्यों का निष्कर्ष निकालने की अनुमति देती है जब तक कि उन्हें असत्य साबित न कर दिया जाए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114–क निम्नानुसार प्रावधान करती है:

> **"114क. बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने की उपधारणा–** भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ), खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ट), खंड (ठ), खंड (ड) या खंड (ढ) के अधीन बलात्संग के लिए किसी अभियोजन में, जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री की, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उससे बलात्संग किया गया है, सम्मति के बिना किया गया था और ऐसी स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. सामूहिक बलात्संग के प्रकरणों के संदर्भ में, अधिनियम की धारा 114 स्वयं सम्मति या दोष के प्रश्न पर प्रत्यक्ष रुप से लागू नहीं होती है। इसके बजाय, अधिक सुसंगत प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114–क है, जो विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्संग के कुछ अभियोजन प्रकरणों में सम्मति के अभाव के संबंध में उपधारणा से संबंधित है। निष्कर्ष निकालते समय, न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि उपधारणाओं का प्रयोग निष्पक्षता और न्याय के व्यापक सिद्धांतों के अधीन है। इसलिए, अपीलार्थीगण के अधिवक्तागण का यह तर्क कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 उनके पक्ष में लागू होती है, वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थीगण के लिए स्वीकार्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि तथ्य उस धारा के अधीन विवेकाधीन उपधारणाओं के प्रयोग की अनुमति नहीं देते हैं और उसका अवलंब लेना साक्ष्य संबंधी सिद्धांतों के विपरीत होगा।

25. जहाँ अभियुक्त द्वारा लैंगिक संभोग साबित हो जाता है और अभियोक्त्री न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहाँ विधि न्यायालय को ऐसी सम्मति के अभाव की उपधारणा करने का आदेश देता है। यहाँ, वर्तमान प्रकरण में, यह विवाद का विषय नहीं है कि पीड़िता के साथ कई अभियुक्तों द्वारा लैंगिक हमला किया गया था, और न्यायालय के समक्ष उसका सुस्पष्ट अभिसाक्ष्य यह है कि यह कृत्य उसकी इच्छा के विरुद्ध और उसकी सम्मति के बिना किया गया था। एक बार जब यह आधारभूत तथ्य स्थापित हो जाता है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 114–क के अधीन वैधानिक

उपधारणा पूर्णतया लागू होती है, और अब अभियुक्तों के लिए धारा 114 की विवेकाधीन उपधारणाओं का आश्रय लेना संभव नहीं है। इस प्रकार, अपीलार्थीगण का यह तर्क कि धारा 114 को उनके पक्ष में लागू किया जा सकता है, भ्रामक है, क्योंकि इस प्रकार के तर्क को स्वीकार करना विधायी अधिदेश के शब्द और भावना, दोनों को विफल करना होगा।

26. संचयी विचार के उपरांत, यह न्यायालय पाता है कि अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य विश्वसनीय, सुसंगत और चिकित्सीय एवं जब्ती के साक्ष्यों द्वारा संपुष्ट है। इस प्रकरण में पीड़िता के विरुद्ध किया गया अमानवीय कृत्य न केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध अपराध है, बल्कि समाज की अंतरात्मा का उल्लंघन है। सामूहिक बलात्संग क्रूरता के सबसे अंधकारमय रूप का प्रतीक है, जो उन गरिमा और अधिकारों को छीन लेता है जिनका प्रत्येक मनुष्य हकदार है। ऐसे अपराध न केवल पीड़िता के जीवन को तहस–नहस कर देते हैं, बल्कि उस नैतिक और सामाजिक ढांचे को भी संक्षारित करते हैं जिस पर हमारा समाज टिका हुआ है।

27. समापन से पूर्व, यह न्यायालय यह अवधारित करना आवश्यक समझता है कि इस प्रकृति के अपराध समाज की सामूहिक अंतरात्मा पर एक गहरा घाव छोड़ देते हैं। एक स्त्री की गरिमा न केवल उसके संरक्षण के लिए है, बल्कि यह एक पवित्र विश्वास है जिसे सुरक्षित रखने के लिए विधि और समाज बाध्य हैं। बलात्संग केवल शरीर पर किया गया हमला नहीं है; यह पीड़िता की आत्मा पर किया गया प्रहार है। **पंजाब राज्य विरुद्ध रामदेव सिंह (2004) 1 एससीसी 421** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बलात्संग को बुनियादी मानवाधिकारों के विरुद्ध अपराध और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन पीड़िता के जीवन के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में उचित रूप से वर्णित किया है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय (2025) में यह दोहराया गया था कि बलात्संग का कलंक पीड़िता पर नहीं, बल्कि अपराधी पर लगता है। यह न्यायालय भी उसी सिद्धांत से सहमत हैः पीड़िता के हिस्से में लज्जा नहीं, बल्कि साहस है; अपमान केवल अपराधी के कंधों पर है, क्योंकि अपीलार्थीगण ने अपने आचरण से न केवल अभियोक्त्री की सुरक्षा की भावना को नष्ट किया है, बल्कि समाज की अंतरात्मा को भी झकझोर दिया है। ऐसे अपराधों के लिए कठोर दंड मिलना चाहिए, न केवल पीड़िता को न्याय देने के लिए बल्कि समाज में एक निवारक के रूप में कार्य करने के लिए भी।

28. अतः, यह न्यायालय पुनः यह दोहराता है कि ऐसे जघन्य अपराधों के अपराधी किसी भी उदारता के पात्र नहीं हैं। अधिरोपित दंड न केवल अभियुक्तों के मन में भय उत्पन्न करने के लिए है, बल्कि समाज को यह स्पष्ट संदेश देने के लिए भी है कि लैंगिक अपराधों को सहन नहीं किया जाएगा और उनसे कठोरता एवं बिना किसी समझौते के निपटा जाएगा। यह उन लोगों के लिए एक स्पष्ट सबक होना चाहिए जो स्त्रियों की गरिमा को कुचलने का साहस करते हैं, और समाज को यह सीखना चाहिए कि एक स्त्री का सम्मान अलंघनीय और असमझौताकारी है।

<u>निष्कर्षः</u>

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

29. तदनुसार, इस न्यायालय का सुविचारित अभिमत यह है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अभिलिखित अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि सुस्थापित है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

<u>आदेशः</u>

30. इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि अपीलार्थीगण को सामूहिक बलात्संग के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधि द्वारा निर्धारित न्यूनतम दण्ड दिया गया है, यह न्यायालय न तो दोषसिद्धि और न ही दण्डादेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार पाता है।

31. अतः, अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थीगण पर अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय पुष्टि की जाती है। अपीलार्थीगण के जमानत पर होने की सूचना हैं। उनपर अधिरोपित दंडादेश के शेष भाग को भुगतने हेतु उन्हें अभिरक्षा में लिया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. इन टिप्पणियों के साथ, अपील खारिज की जाती है।

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**